प्रैस रिलीज

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली
5 जुलाई, 2022

दिल्ली सरकार की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राजस्व, आर्थिक, सामाजिक एवं सामान्य क्षेत्र तथा सा.क्षे.उ. विधानसभा में प्रस्तुत

मार्च **2019** को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व**,** आर्थिक**,** सामाजिक एवं सामान्य क्षेत्र तथा सा.क्षे.उ. पर वर्ष **2021** का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. **1** आज विधानसभा में प्रस्तुत। इस प्रतिवेदन में राजस्व, आर्थिक, सामाजिक एवं सामान्य क्षेत्र तथा सा.क्षे.उ. से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष सम्मिलित है।

राजस्व क्षेत्र

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) की कुल राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2017-18 में ₹ 38,667.27 करोड़ की तुलना में वर्ष 2018-19 हेतु ₹ 43,112.60 करोड़ थी। इसमें से, 86 *प्रतिशत* कर राजस्व (₹ 36,624.67 करोड़) और गैर-कर राजस्व (₹ 644.16 करोड़) से उत्थित हुई थी। शेष 14 *प्रतिशत* भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान के रूप में (₹ 5,843.77 करोड़) प्राप्त हुई। पिछले वर्ष की तुलना में कर राजस्व में 2.54 *प्रतिशत* की वृद्धि तथा गैर-कर राजस्व में 15.91 *प्रतिशत* की कमी थी।
- वर्ष 2018-19 के दौरान व्यापार एवं कर, राजस्व तथा परिवहन विभाग की 60 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की गई जिसमें 394 मामलों में शामिल ₹ 521.61 करोड़ का अवनिर्धारण/कर का कम उद्ग्रहण/राजस्व की हानि तथा अन्य अनियमितताओं को दर्शाया गया। वर्ष के दौरान, संबंधित विभागों ने ₹ 96.32 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया।

अनुपालना लेखापरीक्षा पैराग्राफ

राजस्व विभाग

- 2014-15 से 2018-19 के दौरान निष्पादित, 118 करारों में उदगृहित स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क का भुगतान नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 25.68 करोड़ के राजस्व की कम वसूली हुई।

- संपत्तियों के गलत वर्गीकरण तथा संपत्तियों के अवमूल्यन की गलत संगणना के परिणामस्वरूप ₹ 3.19 करोड़ के स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क का कम उदग्रहण हुआ।

व्यापार एवं कर विभाग

निर्धारण प्राधिकारियों ने विक्रय व्यापारियों द्वारा कर जमा के विवरण का सत्यापन के बिना निर्धारितियों को ₹ 2.करोड़ का इनपुट ट्रैक्स क्रेडिट अनुमत्य किया 56, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2. करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त 25 ₹ 1.करोड़ के ब्याज 21 तथा ₹ 2.करोड़ का जुर्माना भी उद्ग्रहणीय था। 25 रियायती कर की दर के लिए निर्धारिती की पात्रता सुनिश्चित करने में निर्धारण अधिकारी की विफलता के कारण ₹ 1.करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त 91, ₹ 1. करोड़ का ब्याज तथा 60₹ 1. 91करोड़ का जुर्माना भी उद्ग्रहणीय था।

निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा अतिरिक्त मांगों पर ब्याज उद्ग्रहण की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 3.करोड 10ः के ब्याज का गैरउद्ग्रहण हुआ।-

जिन निर्धारितियों का पंजीकरण रद्द हो चुका था विभाग उनसे ₹ 87. करोड़ की 15माँग वसूल करने में विफल रहा।

निर्धारिती ने निर्माण सामग्री के संबंध में ₹ 29. करोड़ की कम बिक्री को दिखाया 94 जिसके परिणामस्वरूप₹ 2.करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त 72, ₹ 2. करोड़ के ब्याज तथा 08₹ 2.करोड़ का जुर्माना भी उद्ग्रहणीय था। 72

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (.उ.क्षे.सा)

17 थे जिसमें .उ.क्षे.राज्य सा 19 को 2019 मार्च 31सरकारी कंपनियां तथा दो सांविधिक निकाय शामिल थे। कार्यशील सा तक अद्यतन नवीनतम 2019 सितम्बर 30 की .उ.क्षे. लेखों के अनुसार₹ 9,318.करोड़ की वार्षिक टर्नओवर पंजीकृत थी। यह ट 69र्नओवर वर्ष 2018-) (.उ.घ.रा.स) के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद 19₹ 7,79,652. (करोड़ 31 1 के. 20*प्रतिशत* के बराबर थी। कार्यशील सा के अद्यतन अन्तिम लेखों के .उ.क्षे. अनुसार₹ 3,492.0 ने .उ.क्षे.तक राज्य सा 2019 करोड़ की हानि हुई। मार्च 05. 30 लाख कर्मचारियों की नियुक्ति की।

तक पांच पावर सैक्टर उपक्रमों में 2019 मार्च 31₹ 11,698. करोड़ का कुल निवेश 68 64 हुआ। निवेश इक्विटी का (ऋण-अवधि-इक्विटी तथा दीर्घ). 17*प्रतिशत* तथा दीर्घ-अवधि ऋणों का 35. 83*प्रतिशत* था।

इन साद्वारा अर्जित लाभ .उ.क्षे., 2014- में 15₹ 297.2018 करोड़ के प्रति 55- में 19₹ 806. में से .उ.क्षे.करोड़ था। उनके नवीनतम प्राप्त लेखाओं के अनुसार इन पाँच सा 48 को हानि हुई। श .उ.क्षे.ने लाभ अर्जित किया एवं दो सा .उ.क्षे.तीन सा ीर्ष लाभ अर्जित करने वाली कंपनियाँ दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड)₹ 398. एवं प्रगति पॉवर (करोड़ 00) कारपोरेशन लिमिटेड₹ 264. थी। इन्द्रप्रस्थ पॉवर कोरपोरेशन कम्पनी (करोड़ 38 लिमिटेड को₹ 19. करोड़ की हानि हुई। 84

पाँच विद्युत क्षेत्र उपक्रमों का कुल संचित लाभ ₹ 7,506. करोड़ के पूँजीगत निवेश 79 के प्रति₹ 869.करोड़ था 91, जिसके परिणामस्वरूप निवल मूल्य ₹ 8,375. करोड़ 83 था। पाँच विद्युत क्षेत्र उपक्रमों में से, दिल्ली विद्युत कंपनी लिमिटेड)₹ 615. (करोड़ 17 में निवल मूल्य पूरी तरह से समाप्त हो गया था।

को 2019 मार्च 31इन इक्विटी) में कुल निवेश (विद्युत क्षेत्र के अलावा) .उ.क्षे.सा 14 (तथा दीर्घकालिक ऋण₹ 14,093.16 करोड़ था। निवेश में 20. 76*प्रतिशत* इक्विटी तथा 83. 24*प्रतिशत* दीर्घकालिक ऋण शामिल था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दिया गय (.स.दि.क्षे.रा.रा)ा दीर्घकालिक ऋण कुल दीर्घकालिक ऋण का 99. 84*प्रतिशत*) ₹ 11,712.0 था जबकि कुल दीर्घकालिक ऋण का (करोड़ 20. 16 *प्रतिशत*) ₹ 18. अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिया गया था। (करोड़ 74

ऊर्जा) में से .उ.क्षे.सा 14 की अवधि के दौरान 2019 सितम्बर 30 से 2018 अक्तूबर 1 क्षेत्रके अलावा (12 सावार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप दिया था। आगे 12 ने .उ.क्षे., से संबंधित हैं। .उ.क्षे.वार्षिक लेखे बकाया थे जो आठ सा 15

सा2014 ने (ऊर्जा क्षेत्र के अलावा) .उ.क्षे.-2018 से 15- तक की पाँच वर्ष की अवधि 19 के दौरान समग्र हानि उठाई। नवीनतम प्राप्त लेखाओं के अनुसार, में .उ.क्षे.सा 14 से, पाँच सा ने .उ.क्षे.₹ 68.करोड़ का लाभ अर्जित किया 42 तथा पाँच सा ने .उ.क्षे.₹ 4,366.करोड़ की हानि उठाई 95

जिनमें डी को .सी.टी.₹ 4,329. को .उ.क्षे.एवं चार सा (करोड़ की हानि शामिल है 41 सीमांत हानि हुई।

में से .उ.क्षे.विद्युत सा-गैर 14, रा में निवेश .उ.क्षे.ने नौ सा .स.दि.क्षे.रा. किया जिसमें से दिल्ली परिवहननिगम का निवल मूल्य ₹) 31,489. 06

पूर्णतः समाप्त हो गया था। (करोड़

अनुपालना लेखापरीक्षा पैराग्राफ

दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड

दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा बवाना एवं नरेला में औद्योगिक क्षेत्रों का परिचालन और अनुरक्षण की लेखापरीक्षा दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड में .दि.क्षे.रा.को रा (डीएसआईआईडीसी) औद्योगिक क्षेत्रों कीव्यवस्थित स्थापना की जिम्मेदारी सौंपी गई थी जिसमें उनके परिचालन एवं अनुरक्षण शामिल थे।

बवाना तथा नरेला में औद्योगिक क्षेत्र के पुनर्विकास एवं परिचालन तथा अनुरक्षण का कार्य वर्षों की अवधि के लिए क्रमशः बवाना इन्फ्रा डेवलपमेंट प्राईवेट लिमिटेड 15 मेसर्स) तथा मेसर्स पीएनसी दिल्ली इंडस्ट्रीयल इन्फ्रा प्राईवेट लिमिटेड (मेसर्स बवाना) को आव (पीएनसींटित किया गया। औद्योगिक क्षेत्र के प्रबंधन तथा रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा दी गई सेवाओं की सम्पूर्ण जिम्मेदारी डीएसआईआईडीसी की थी।

इन दोनों औद्योगिक क्षेत्रों के परिचालन एवं अनुरक्षण की लेखापरीक्षा से पता चला कि रियायत समझौते के अनुसार दो रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा कार्य के उचित निर्वहन को सुनिश्चित करने के संबंध में डीएसआईआईडीसी की तरफ से गंभीर कमियाँ थीं। डीएसआईआईडीसी के पास न तो प्रत्येक औद्योगिक इकाई द्वारा देय और भुगतान किए गए शुल्कों का पूरा ब्यौरा था और न ही रियायत प्राप्तकर्ताओं को संग्रह की गई राशि हस्तांतरित करने से पहले वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा आय एवं व्यय का आवश्यक प्रमाणीकरण सुनिश्चित किया गया था। रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा परिचालन एवं अनुरक्षण गतिविधियों पर प्राप्तकर्ताओं द्वारा किए गए व्यय का ब्यौरा प्राप्त किए बिना ही मासिक अनुरक्षण शुल्कों में वृद्धि की अनुमति देकर रियायत प्राप्तकर्ताओं को अनुचित लाभ दिए गए।

रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा नरेला औद्योगिक क्षेत्र में पानी तथा सीवर कनेक्शन शुल्क का संग्रहण अनाधिकृत था और जिसके कारण उसके समायोजन में विलम्ब हुआ। इसके अतिरिक्त, पार्किंग शुल्कों के समायोजन में भी विलम्ब था।

आगे, बवाना औद्योगिक क्षेत्र में पानी एवं सीवर कनेक्शन शुल्कों के साथ साथ बिजली- एवं पानी बिलों के समायोजन में भी विलम्ब था। डीएसआईआईडीसी द्वारा अनुपयुक्त निगरानी से प्रतिकूल पर्यावरणीय जटिलता हुई। जैसे इन औद्योगिक क्षेतर्ों में निगम के ठोस अपशिष्ट के गैर निपटान एवं संचय से ड्रेनों और सीवरों का जाम होना औद्योगिक अपशिष्टों को सीधे वाटर ड्रेनों में प्रवाहित किया जाना। सड़कों की अपर्याप्त सफाई, पार्कों की सिंचाई एवं सफाई तथा मरम्मत कार्य इत्यादि की धीमी प्रगति इनके उदाहरण थे।

थर्ड पार्टी इंजीनियर द्वारा परिचालन एवं अनुरक्षण में बार बार पाई गई कमियों के- बताने एवं जुर्माने की वसूली की अनुशंसा करने में अपने कर्तव्यों का निर्वहन प्रभावी रूप से नहीं किया गया परन्तु डीएसआईआईडीसी ने सीएमडी द्वारा थर्ड पार्टी इंजीनियर की सेवा विस्तार देते समय इस उपबंध को शामिल करने के निर्देश के बावजूद थर्ड पार्टी इंजीनियर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

शिकायत निवारण तंत्र पर्याप्त और प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर रहा था।

दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम आयकर देयता में असफल रहा एवं अग्रिम कर के गैर भुगतान के परिणामस्वरूप-₹ 3. करोड़ के 74 अपरिहार्य ब्याज का भुगतान हुआ।

प्रगति पावर निगम लिमिटेड

प्रगति पावर निगम लिमिटेड को ₹ 22. करोड़ की हानि हुई क्योंकि इसने अपने 83 ऊर्जा संयंत्र का बीमा लेते समय उत्पाद एवं कस्टम शुल्क के मूल्य को शामिल न कर "मशीनरी ब्रेक डाऊन" नीति के अन्तर्गत परिसंपत्तियों का कम मूल्यांकन किया था।

दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड

दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड रियायत प्राप्तकर्ताओं से समय पर सेवा कर वसूल करने में विफल रहा तथा सेवा कर पर ब्याज सहित ₹ 93. लाख 91 अपने कोष से भुगतान किया।

सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र (.उ.क्षे.सा-गैर)

प्रतिवेदन के इस भाग में दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की कार्यप्रणाली एवं दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा विद्युतीय प्रभारों पर अतिरिक्त व्यय तथा इंद्रप्रस्थ सूचना एवं तकनीकी संस्थान दिल्ली द्वारा कर्मचारियों को परिवहन भत्ते की अधिक भुगतान से संबंधित ₹ 29. करोड़ के 76 वित्तीय निहितार्थ के तीन पैराग्राफ शामिल है।

अनुपालना लेखापरीक्षा पैराग्राफ श्रम विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

श्रम विभाग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की कार्यप्रणाली की लेखापरीक्षा

दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन सितम्बर में 2002 उपकर एकत्रित करने तथा उसका उपयोग दिल्ली में निर्माण श्रमिकों को सामाजिक स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया था। हालांकि ,सुरक्षा, बोर्ड ने अपने

अनिवार्य उद्देश्यों के पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए कोई दीर्घावधि भावी योजना अथवा वार्षिक योजना तैयार नहीं की। बोर्ड ने 2002- एकत्रित ,वर्षों के दौरान उपकर 19 उपकर पर ब्याज तथा पंजीकरण शुल्क के रूप में₹3 ,273. करोड़ प्राप्त किए जिसमें 64 से इसने निर्माण श्रमिकों के कल्याण पर केवल ₹182 .) करोड़ 885.59 *प्रतिशत* तक उपकर तथा ब्याज के साथ संग्रहित शुल्क 2019 व्यय किया तथा मार्च (से₹2 ,709.करोड़ का संचय हुआ था। 46

निर्माण श्रमिकों को कल्याण योजनाओं का लाभ लेने के लिए बोर्ड में पंजीकृत होना आवश्यक है। हालांकि बोर्ड ने दिल्ली में पंजीकृत ,श्रमिकों की संख्या बढ़ाने के लिए निर्माण श्रमिकों की पहचान हेतु कोई सर्वेक्षण नहीं किया। मार्च तक अनुमानित 2019 17 लाख निर्माण श्रमिकों में से केवल 10, 339(1. *7प्रतिशत* ने बोर्ड में पंजीकरण (98 करवाया जिससे*प्रतिशत* श्रमिक, बोर्ड द्वारा कार्यान्वित कल्याण योजनाओं के लाभ से वंचित रहे। पंजीकृत श्रमिकों के मामले में भी सीमित लाभ ही प्रदान किया गया, क्योंकि बोर्ड द्वारा कार्यान्वित कल्याण योजनाओं में से छः पर कोई व्यय नहीं 15 किया गया था। बोर्ड का प्रशासनिक व्यय भी कुल व्यय के पाँच*प्रतिशत* की निर्धारित सीमा से बहुत अधिक था तथा यह 2016-14 में 17. 42*प्रतिशत* और 2018- में 19 12.20 *प्रतिशत* था।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय

दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप संस्वीकृत विद्युत भार के निर्धारण में विफलता के परिणामस्वरूप नियत प्रभारों के कारण जुलाई 2018 की अवधि के दौरान 2020 से मार्च₹1 .करोड़ का अधिक व्यय हुआ। 55

रा के वित्त विभाग से पूर्व सहमति प्राप्त किए बिना इंद्रप्रस्थ सूचना एवं .स.दि.क्षे.रा. तकनीकी संस्थान दिल्ली ने कर्मचारियों को बढ़ी हुई दर पर परिवहन भत्ते की स्वीकृति दी जिसके परिणामस्वरूप ₹1 . की राशि का अनियमित .भ.करोड़ के अतिरिक्त प 03 भुगतान हुआ। दिल्ली सरकार के दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की कार्यप्रणाली की लेखापरीक्षा दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन सितम्बर में उपकर एकत्रित करने तथा उसका उपयोग दिल्ली में 2002 निर्माण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया था।